न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 132/2022 बउनवानी रामसहाय माली बनाम लो.सू.अधि.एवं अति. जिला कले. गंगापुर सिटी पुत्र श्री रूग्गा माली निवासी पेमा पुरा खानपुर बडौदा गंगापुर सिटी

GCMS No-2022/250

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
2.12.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 19.9.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. प्रार्थी द्वारा 24.8.2022, 10.10.2022 एवं 11.10.22 को की गयी शिकायत प्रार्थना पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/अपील/2022/1260 दिनांक 16.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 19.9.2022 मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई /अपील/2022/1259 दिनांक 16.11.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 29.9.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक 1259 दिनांक 16.11.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:40:29 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर